# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

प्रकरण सं0 171/2024          दायर दिनांकः 24.12.2024

**उनवान**

1. रेशमबाई पुत्री धन्ना जाति राजपूत नि. देवची तहसील पिड़ावा
2. सोहनबाई पुत्री धन्ना जाति राजपूत नि. देवची तहसील पिड़ावा
3. सहायताबाई पत्नी धन्ना जाति राजपूत नि. देवची तहसील पिड़ावा

– प्रार्थीगण

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार तहसील पिड़ावा
2. नारान पुत्र किशन जाति मेहर नि. देवची तहसील पिड़ावा

– अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट**

**उपस्थिति अभिभाषकगण :–**

अभिभाषक प्रार्थी – श्री ईश्वरसिंह

अप्राथी सं. 1 – पैरोकार सरकार

अभिभाषक अप्राथी सं. 2 – श्री मुकेश कुमार बगैरिया

**आदेश**          दिनांक : 10.11.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम देवची पटवार हल्का शेरपुर भू०अभि०नि० घरोनिया तह० पिड़ावा की खाता संख्या नई 216 व पुराना 212 का खसरा नं. 813/335 रकबा 0.4047 है० आराजी स्थित है नकल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 पेश है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी खसरा नं. 813/335 मूल खसरा नं. 335 का भाग है खसरा नं. 335 में से प्राथर्थीगण को उक्त आराजी एलोटमेंट से प्र[illegible]। जिस पर एलोटमेंट के पूर्व से प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार खसरा नं. 335 में से अप्रार्थी नं. 2 को 0.7841 है० आराजी एलोट हुई जिसका नया ख[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:30:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

824/335 है अप्रार्थी नं. 2 भी एलोटमेंट से पूर्व से ही अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिसकी नक्शे में तरमीम काफी समय बाद हुई। यह कि राजस्व कर्मचारियों ने नक्शे में तरमीम के समय काश्तकारों के कब्जे को ध्यान में नहीं रख कर बिना मौका देखे नक्शे की तरमीम की है जो गलत है। खसरा नं. 813/336 वाले स्थान पर जहां प्रार्थीगण ने मेहनत कर भूमि को सुधार कर उपजाउ बनाया है तथा काश्त करते चले आ रहे है। उस स्थान पर नक्शे में खसरा नं. 824/335 अंकित कर दिया जो गलत है तथा शुद्धी का मोहताज है तथा जहां खसरा नं. 824/335 होना चाहिए था उस स्थान पर खसरा नं. 813/335 अंकित कर दिया गया जो गलत है। यह कि उक्त दोनो खसरा नं. 813/335 व 824/335 की स्थिति नक्शे में परस्पर तरमीन के समय बदल गयी है जो गलत है जिसे शुद्धिकरण आदेश द्वारा सही किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होकर उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी यानी तहसीलदार साहब पिड़ावा के नाम आदेश प्रदान किया जावे कि ग्राम देवची तह० पिड़ावा के खसरा नं. 813/335 तथा 824/335 की तरमीम कब्जे अनुसार शुद्धिकरण आदेश द्वारा वर्तमान में अंकित खसरा नं. 824/335 के स्थान पर खसरा नं. 813/335 वः खसरा नं. 813/335 के स्थान पर खसरा नं. 824/335 अंकित कर दर्ज रकबे अनुसार तरमीम शुद्धीकरण के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र चरण कमाक 1 में वर्णित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड के ग्राम देवची पटवार मण्डल शेरपुर में खसरा न० 813/335 रकबा 0.4047 हैं रामबाई पुत्री धन्ना, रेशम बाई पुत्री धन्ना वगै० जाति सौंधिया के नाम एवं 824/335 रकबा 0.7840 है नारान पुत्र किशन जाति मेहर सा. देह के नाम दर्ज है यह कि प्रार्थना पत्र का चरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:30:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

कमांक 2 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार हैं। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। नक्शे में तरमीम सेकीकेशन के दौरान सहवन से रही है। जो दुरस्त किया जाना एवं पटवार मण्डल शेरपुर मौका जाँच रिर्पोट की रोशनी से स्पष्टीकरण द्वारा हुई त्रुटी काबिल दुरस्त होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 4 में वर्णित तथ्य में प्रार्थी के मौकानुसार ख० न० 813/335 पर नारान पुत्र किशन व ख०न० 824/335 पर रेशमबाई सोहनबाई पुत्री घन्ना का नाम दर्ज किया जाना किया जाना पटवार मण्डल शेरपुर के मुताबिक उचित प्रतीत होता है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 5 माननीय न्यायालय हाजा का होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष श्रीमान मानवीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा तय किया जाकर अग्रिम आदेश हुतु अप्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिडावा पालनार्थ हेतु तत्पर है।

3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 1 रेकार्डेड है तथा स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 2 सही है तथा स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 3 सही है तथा स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 4 सही है तथा स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 5 कानूनी है तथा जवाब का मोहताज नहीं है एवं प्रार्थना स्वीकार है। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि ग्राम देवची के खसरा नं. 813/335 तथा खसरा नं. 824/335 की तरमीम शुद्धीकरण आदेश द्वारा नक्शे में शुद्धी किये जाने की कृपा करे।

4. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम देवची की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 216, 89, खसरा नक्शा दिनांक 02.10.2024 एवं लटठा नक्शा ट्रेस दिनांक 02.05.2025 पेश किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:30:48 IST
Reason: SelfAttested

5. पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब के समर्थन में पटवारी हल्का शेरपुर की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नामा सं. [illegible] दिनांक [illegible] पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

6. अभिभाषक प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 2 व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम देवची तहसील पिडावा के खाता सं. 1 के मूल ख.नं. 335 रकबा 9–14 बीघा में से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 01–12 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पिता धन्ना, रतन पिस. रामसिंह को दिनांक 01.11.1977 को एलाटमेंट की गई थी और जरिये नामा.सं. 93 दिनांक 20.11.1978 से धन्ना, रतन पिस. रामसिंह राजपूत की गैर खातेदारी दर्ज की गई एवं इसी प्रकार मूल ख.नं. 335 में से अप्रार्थी सं. 2 नारायण को भी 3–02 बीघा भूमि एलाटमेंट की गई थी जिसका नया ख.नं. 824/335 रकबा 0.7841 है. बना था। प्रार्थीगण के पिता धन्ना एवं अप्रार्थी सं. 2 एलाटमेंट के समय से ही अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु उक्त आवंटन आदेशों की पालना में नक्शा लटठा में तरमीम नहीं की गई। तहसील पिडावा को आनलाईन करते समय सेगिगेशन के दौरान तत्कालीन राजस्व कार्मिको ने मौके की स्थिति का निरीक्षण किये बिना और प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 के मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखे बिना ही गलत तरमीम कर दी जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर ख.नं. 824/335 गलत रूप से अंकित कर दिया जबकि अप्रार्थी सं. 2 के कब्जे काश्त की भूमि पर ख.नं. 813/335 गलत अंकित कर दिया जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 के हिस्से की भूमि की तरमीम मौके के कब्जे काश्त अनुसार नहीं कर गलत कर दी। अतः राजस्व कार्मिको द्वारा सेग्रिगेशन के दौरान एलाटमेंट आदेश के विपरीत बिना किसी प्राधिकार के राजस्व नक्शे में की गई त्रुटी को दुरूस्त करने के आदेश फरमाये जावे।

7. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के अनुतोष पर सहमति व्यक्त की और मूल ख.नं. 335 की तरमीम में नामा.सं. 93 [illegible] के दौरान त्रुटी होना स्वीकार किया। मौके पर हाल ख.नं. 813/33[illegible] अप्रार्थी सं. 2 एवं हाल ख.नं. 824/335 पर प्रार्थीगण वर्षो से कब्जा [illegible] चले आ रहे है। पेरोकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:30:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि मूल नक्शा लटठा नक्शा में आवंटन आदेशों की तरमीम नहीं हो रखी थी। सेग्रिगेशन के बाद बिना सक्षम आदेश के लटठा नक्शा में तरमीम की गई है जो कि गलत है। साथ ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नजरी नक्शा संलग्न कर नक्शानुसार शुद्धि किया जाना उचित बताया।

8. अप्रार्थी सं. 2 ने बहस के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा नक्शे में की गई तरमीम को गलत बताते हुए प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष पर सहमति व्यक्त की और मौके पर वर्षो से चले आ रहे कब्जे काश्त के आधार पर नक्शे में तरमीम करने का निवेदन किया।

9. अभिभाषक प्रार्थी, अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम देवची के नामा.सं. 93 दिनांक 20.11.1978 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम देवची का खाता सं. 1 का ख.नं. 335 रकबा 1—12 बीघा प्रार्थी धन्ना, रतन पिसं. रामसिंह राजपूत के नाम दिनांक 01.11.1977 को आवंटन होकर दिनांक 20.11.1978 को गैरखातेदारी दर्ज हुई थी जिसे अप्रार्थी व पैरोकार सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है। पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2025 में स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 मौके पर सही काबिज है लेकिन सेग्रिगेशन के आनलाईन नक्शे में दोनो की तरमीम एक दूसरे के स्थान पर हो रखी है। पैरोकर सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि मूल नक्शा लटठा नक्शा में आवंटन आदेशों की तरमीम नहीं हो रखी थी। सेग्रिगेशन के बाद बिना सक्षम आदेश के लटठा नक्शा में तरमीम की गई है जो कि गलत है। और इसलिए राजस्व नक्शे में सेग्रिगेशन के दौरान हुई त्रुटी को दुरूस्त कर कब्जे काश्त के आधार पर किया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:30:48 IST
Reason: SelfAttested

10. अभिभाषक प्रार्थीगण [illegible] त्रुटी राजस्व कार्मिको द्वारा नामा.सं. 93 [illegible] है और राजस्व कार्मिको द्वारा लापरवाही पूर्वक प्रार्थीगण को सुने [illegible] की गई गलती की सजा

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित नहीं है। पेरोकार सरकार तहसीलदार पिड़ावा भी स्वीकार किया है कि वर्तमान नक्शा तरमीम प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से भिन्न है और राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते समय राजस्व कार्मिको द्वारा नियम विरूद्ध गलत अंकन किया गया जो दुरूस्ति योग्य है।

11. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रुटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रुटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रुटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रुटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम देवची के मूल ख.नं. 335 के आवंटन आदेश की पालना में खोले गये नामा.सं. 93 दिनांक 20.11.1978 की राजस्व रिकार्ड व नक्शे में अमल दरामद करते समय ख.न. 813/335 एवं ख.नं. 824/335 की दिशा/तरमीम त्रुटीपूर्ण की गई जिसे धारा 131 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

**131. Maintenance of Map and Field Book –** After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with rules made by the State Government in that behalf and shall be revised annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:30:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



Scanned with OKEN Scanner

all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम देवचर तहसील पिडावा की कृषि आराजी ख.नं. 813/335 एवं ख.नं. 824/335 के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

## —::क्रियात्मक आदेश::—

13. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल. आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवची तहसील पिडावा की कृषि आराजी ख.न. 813/335 एवं ख.नं. 824/335 के राजस्व नक्शे में तहसीलदार पिडावा द्वारा पेश नजरी नक्शा दिनांक 24.01.2025 एवं मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:30:48 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner